<u>दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे सम्मेलन कक्ष, बराद सदन, शैक्षणिक खंड में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 38वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे सम्मेलन कक्ष , बराद सदन , शैक्षणिक खंड में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 38वीं बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे - अध्यक्ष
   कुलपति
2. श्री टाशी डेनसपा - सदस्य
   पूर्व निदेशक
   नामग्याल तिब्बतीय संस्थान
3. प्रो. एन. सत्यनारायण - सदस्य
   डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ
4. प्रो. मनेश चौबे - सदस्य
   डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
5. प्रो. संजय दाहाल - सदस्य
   डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ
6. प्रो. कबिता लामा - सदस्य
   डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
7. प्रो. लक्ष्मण शर्मा - सदस्य
   छात्र कल्याण डीन
8. प्रो. एस.एस.शर्मा - सदस्य
   वरिष्ठ प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग
9. श्री के.वी.एस. कामेश्वर राव - सचिव
   कुलसचिव

निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे :

10. प्रो. गुरमीत सिंह - सदस्य
    कुलपति
    पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय
11. प्रो. बिद्युत चक्रबर्ती - सदस्य
    कुलपति
    विश्व-भारती

12. प्रो. रमेश कुमार यादव - सदस्य
    कुलपति
    बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

13. श्री जी.पी.उपाध्याय - सदस्य
    अपर मुख्य सचिव
    शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार

14. प्रो. कृष्ण कुमार - सदस्य
    अध्यक्ष, भौतिकी विभाग
    आईआईटी खड़गपुर

15. प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा - सदस्य
    प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
    अक्षय ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग
    केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानीपूल

16. डॉ. ए.एन.शंकर - सदस्य
    एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

प्रो. इंदर मोहन कपाही व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

श्रीमती ग्रेस डी. चेंकापा, उप कुलसचिव और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद की सहायता के लिए उपस्थित थे। बैठक के दौरान तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए वरिष्ठ तकनीकी सहायक अनिल खाती उपस्थित रहे।

प्रारंभ में कुलपति ने परिषद की 38वीं बैठक, एक विशेष और आपात बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति ने बैठक में पहली बार भाग ले रहे प्रो. एस.एस. शर्मा, वरिष्ठ प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग और डॉ. ए.एन. शंकर , एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग का विशेष रूप से स्वागत किया । कुलपति ने प्रो. एस.एस. महापात्रा, डीन, व्यवसायिक अध्ययन विद्यापीठ और प्रोफेसर सोहेल फिरडोस, प्रोफेसर, भूगोल विभाग को कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

इसके बाद एजेंडा के विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी :

ईसी 38.1.1: डॉ. सिलाजीत गुहा , प्रोफेसर, जनसंचार विभाग के बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ अपील के संबंध में अपील समिति की सिफारिश

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक **03.07.2021** और **07.10.2021** के निर्देश के अनुसरण में कार्यकारिणी परिषद ने डॉ. सिलाजीत गुहा द्वारा प्रस्तुत अपील पर विस्तार से विचार किया।

अपील के लिए विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार 20.01.2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 36वीं बैठक के अनुसार गठित अपील समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

की और रिपोर्ट इतिहास विभाग के अध्यक्ष और समिति के सदस्य डॉ वीनू पंत द्वारा प्रस्तुत की गयी ।

अपील समिति ने अपना निष्कर्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

जहां तक आंतरिक शिकायत समिति द्वारा सुझाए गए दंड का संबंध है, इस समिति का यह भी मत है कि अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरीकों से यौन उत्पीड़न करने का आचरण एक ही बार या आकस्मिक घटना जैसा नहीं प्रतीत होता । ऐसा प्रतीत होता है कि , अपीलकर्ता इस प्रकृति का आदतन अपराधी है जो कि ऊपर दर्शाए गए गवाहों के बयान से स्पष्ट है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस अपीलीय प्राधिकारी को आंतरिक शिकायत समिति के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं लगता है।

कार्यकारिणी परिषद ने इस तथ्य को नोट किया कि डॉ. शिलाजीत गुहा को अपील समिति के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया गया था। इसके अलावा , चर्चा के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया था कि घटना के गवाहों ने आईसीसी रिपोर्ट में बताया कि रिपोर्ट की गई घटना एक अलग घटना नहीं थी बल्कि ऐसी घटना पहले अन्य महिला छात्रों के साथ हुई थी जो रिपोर्ट नहीं की गई थी।

इस तथ्य को भी नोट किया गया कि शिकायतकर्ता ने कहा कि यह केवल एक ही घटना नहीं थी और उसे उनके द्वारा किए गए कई तरह से अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ा था और गवाहों द्वारा भी पुष्टि की गई थी कि इस तरह के उदाहरण विभाग , एक कार्यस्थल में भी हुए थे।

परिषद ने डॉ. शिलाजीत गुहा को अंतिम अवसर के रूप में कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हाजिर होने की अनुमति देकर अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रो. बिद्युत चक्रवर्ती की राय को भी नोट किया। प्रो. विद्युत चक्रवर्ती सहित कुछ सदस्यों ने व्यक्त किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विकल्प के बारे में पता लगाया जा सकता है। हालांकि , श्री जी.पी. उपाध्याय और अन्य सदस्यों के बहुमत ने देखा कि इस मामले पर सभी पहलुओं से पर्याप्त रूप से चर्चा की गई थी और उन्हें कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत होने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है और पहले के फैसले पर टिके रहने का सुझाव दिया। हालांकि , प्रो. विद्युत चक्रवर्ती ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया।

सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए , कार्यकारिणी परिषद ने पिछले निर्णय पर टिके रहने का संकल्प लिया और पहले दिनांक 28.06.2019 को जारी आदेश 201/2019 की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं पाया और इस तरह दिनांक 28.06.2019 को आदेश 201/2019 द्वारा डॉ. शिलाजीत गुहा को जारी समाप्ति आदेश की पुष्टि करता है । अत: डॉ. शिलाजीत गुहा द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

ईसी 38.1.2: PE0102016A0003 में डॉ विजय कुमार थंगेलापाली , एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच मामले के संबंध में समय-सीमा के विस्तार के लिए अनुरोध

कार्यकारिणी परिषद ने पाया कि कुलपति ने प्रो पीयूष रंजन अग्रवाल , वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्व कुलपति और एपीएस विश्वविद्यालय , रीवा एमपी को दिनांक 27.04.2021 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 188/2021 द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और सुश्री ग्रेस डिछेन चैंकापा , उप कुलसचिव को 30.03.2021 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 165/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। हालांकि , जांच के दौरान प्रस्तुतीकरण अधिकारी अस्वस्थता के कारण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य जारी रखने में असमर्थ रहे और डॉ. सर्बदा प्रधान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को 18.08.2021 को प्रस्तुतीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और तदनुसार मामले को संभाला गया।

प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल को सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 14 के तहत दिनांक 27.04.2021 को जारी कार्यालय आदेश द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था जिसके अनुसार जांच समाप्त करना आवश्यक है और जांच अधिकारी को उनकी नियुक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। 26.10.2021 को छह महीने समाप्त हुए और जांच प्राधिकरण ने कारणों को दर्ज करते हुए 27.10.2021 से 31.01.2022 तक समय बढ़ाने की मांग की। सीसीएस (सीसीए) 1965 के 14 के उप नियम 24 के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी एक बार में जांच पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

मामले की तात्कालिकता को देखते हुए उपरोक्त प्रावधानों के तहत कुलपति ने कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष के रूप में 27.10.2021 से 31.01.2022 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

कार्यकारिणी परिषद ने 27.10.2021 से 31.01.2022 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समय बढ़ाने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 38.1.3: डॉ. राम भवन यादव, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग को आरोप ज्ञापन जारी किया जाना

कार्यकारिणी परिषद ने अनुमोदित किया कि 26.07.2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 37 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नियम 11 (iv) के तहत मामूली जुर्माना लगाने यानी तीन साल के लिए वेतन वृद्धि को रोकने की सिफारिश की गई थी। इसे तीन साल की अवधि समाप्त होने पर वापस किया जाना है।
इसके अलावा, परिषद ने विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित दंड लगाने का भी निर्णय लिया:

i) उसे तीन वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में किसी भी प्रशासनिक पद या किसी समिति के अध्यक्ष/सदस्य का पद धारण करने से रोकना।

ii) उन्हें 3 साल के लिए अपने पर्यवेक्षण में अपने वर्तमान विद्वानों सहित किसी भी एमफिल/पीएचडी की पर्यवेक्षण करने से रोकना।

तदनुसार, परिषद ने सीसीएस (सीसीए) नियमावली के नियम 16 के तहत डॉ. राम भवन यादव को जारी किए जाने वाले आरोप ज्ञापन को संलग्न **(परिशिष्ट -1)** के रूप में अनुमोदित किया।

ईसी 38.1.4: विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. वीर मयंक को आरोप पत्र जारी किया जाना

कार्यकारिणी परिषद ने मामले पर विचार किया और एक सदस्यीय जांच समिति के निष्कर्षों पर ध्यान दिया और तदनुसार डॉ वीर मयंक को जारी किए जाने वाले सीसीएस (सीसीए) नियम के नियम 16 के तहत मामूली जुर्माना लगाने के लिए आरोप ज्ञापन को मंजूरी दी , जैसा कि संलग्न (परिशिष्ट-2)।

हस्ता/-
(के.वी.एस.कामेश्वर राव)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्यकारिणी परिषद

हस्ता/-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद